

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/बी०डी०एस०-05/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मनोज कुमार, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुप्री, सीतामढ़ी के द्वारा दिनांक-01.07.2020 से 23.08.2020 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2054(25) दिनांक-25.10.2023 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 236 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-01.07.2020 से 25.07.2020 तक	-	कुल-25 (पच्चीस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
ii.	दिनांक-26.07.2020 से 23.08.2020 तक	-	कुल-29 (उन्नतीस) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/बी०डी०एस०-05/2024- 122(2) पटना, दिनांक 22/01/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुप्री, सीतामढ़ी/जिला कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/डा० मनोज कुमार, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुप्री, सीतामढ़ी को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. K. Singh
सरकार के उप सचिव।
A